## ARTICLE FOR PRESS

## 22 DEC 2011

कांग्रेस का मुसलमानों को झांसा देने का एक लम्बा इतिहास रहा है . चाहे वोह भाबरी मस्जिद का मामला हो या गुजरात के दंगों में मुसलमानों को इन्साफ दिलाने का मामला हो या मुसलमानों की दिन बिद होती बदतरीन हालात को सुधारने का. दंगों के बाद कमीशन तो बहुत बैठे, मगर सजा आज तक किसी को नहीं हुई. शायद इंतज़ार है मुलजिमों के मर जाने का ताकी केस ही बंद हो जाये, और वेसे भी मरने बाद तो हर आदमी सुवर्गिये हो ही जाता है, अब मरने के बाद उसको मुलजिम ठहराना कहाँ का इन्साफ है भला.

लेकिन मैं आज दंगों की बात नहीं कर रहा हूँ. में आज बात कर रहा हूँ मुसलमानों की खस्ता हाल की और ऐसे मैं कांग्रेस के फेंके हुए एक और जाल की. तुम ही बताओ अगर कांग्रेस ने ज़रा भी हमारे वोटों का हक अदा किया होता तो क्या आज मुस्लमान हिंदुस्तान में इतना खस्ता हाल होता? मुझे ये समझ नहीं आता की जिनके ही वोटों से सरकारें बनती है. उनके ही साथ बेवफाई क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा और क्यूँ नहीं देना चाहते? आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यूँ?या ये लोग ऐसा तो नहीं कहना चाहते के हिंदुस्तान में हमारा कोई हक नहीं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अब. कांग्रेस एक लम्बे वक़्त से मुसलमानों से वादा करती आ रही थी और सरकारें बनाती आ रही थी की मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलेगा... मिलेगा.. मगर अब तक कुछ ना हुआ था, और जब यू.पी. समेत कई मुस्लिम अक्सरयत राज्यों में चुनाव नज़दीक आया तो कांग्रेस के एक झांसे के तहेत मुसलमानों की तरफ एक टुकड़ा फेंका गया है. यह टुकड़ा हे सेंट्रल जोब्स और एजुकेशन में अकलियतों को 4% रिज़र्वेशन का. कांग्रेस इस पर फूली नहीं समां रही, और सीना चोडा कर अब मुसलमानों से इसकी हक अदाएगी की उम्मीद कर रही है के अब मुस्लमान उसको यू.पी. का ताज ज़रूर पहनायेंगें. कांग्रेस को शायद लग रहा है की जेसे वो मुसलमानों को बेवाकूफ बनाती आई है वेसे ही अब बना लेगी. मुझे लगता है की हिंदुस्तान के मुस्लमान अब उतने बेवाकूफ नहीं हैं जितना कांग्रेस इनको समझ रही है, बाकि अब यहाँ के मुसलमानों को ये सोचना है.

मुसलमानों को पता है की ये मुस्लिम रिज़र्वेशन नहीं है बल्कि सभी अकिलयतों के लिए है, जिसमें जैन, पारसी, ईसाई, सिख, वगेरह भी आते हैं. ये सभी अकिलयतें आर्थिक, समाजी और तालीमी एतबार से मुसलमानों से हद दर्जे आगे और हिंदुस्तान की सियासत मैं अपना हिस्सा भी ले चुकी हैं. अब बताओ क्या मुसलमानों को इनके साथ रखना या इनसे एक मुस्लमान का मुकाबला कराना, वोह भी जो ओ.बी.सी. से ताल्लुक रखता हो, सरासर उन मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं है? अरे इस रिज़र्वेशन में नंबर लाना तो जनरल से भी ज्यादा मुश्किल हो गया. यह नाइंसाफी नहीं लगती तुमको? और अगर नाइंसाफी है तो फिर हम खामोश क्यों हैं?

वेसे तो ये 4% ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मजाक है, मगर फिर भी अगर मान लिया जाये तो इस 4% में से कांग्रेस ने

मुसलमानों के लिए मैं कहता हूँ 3% क्यों नहीं फिक्स कर दिया? इस से कम से कम मुस्लमान अपने से कहीं आगे जा चुकी अकलियतों के बीच में तो नहीं पिस्ता. मगर ऐसा होता तो तब ना जब कांग्रेस की नियत मुसलमानों को रिज़र्वेशन देने की होती, यहाँ तो ढोल मुसलमानों का पीटा जाना है और रिज़र्वेशन किसी और को दिया जाना है, और मैं कहता हूँ की सारा का सारा कोटा दूसरी अकलियतें ले जाएँगी और मुस्लमान सिर्फ खुशफ़हमी मैं ही जीता रहेगा.

सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 10% रिज़र्वेशन हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यूँ नहीं देती कांग्रेस सरकार?

हिंदुस्तान में एक और हवा बनायी गयी है की मुस्लिम के नाम से रिज़र्वेशन नहीं मिल सकता. जब एक जगह सिर्फ मुस्लमान होने की वजह से रिज़र्वेशन नहीं मिल सकता तो फिर दूसरी जगह सिर्फ मुस्लमान होने की वजह से क्यों नहीं मिल सकता?यह एक लंबी कहानी है. 1931 में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गाँधी ने पूना पेक्ट किया जिसके तहेत समाज की पिछड़ी जातियों चाहे वोह किसी भी धर्म की क्यों ना हों को विशेष रियायतें दीं गयीं और एक अनुसूची बनायी गयी, और इन जातियों की लिस्ट को अनुसूचित जाति की सूची के रूप में जाना जाता है. ये सभी जातियां इस का फायेदा उठा रही थीं जिसमे हिन्दू, मुस्लमान, सिख, वगेराह सभी थे. मगर 1950 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंदर परसाद के आदेश के ज़रिये कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह लाज़मी कर दिया कि अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म से हिंदू होना लाज़मी है. इस प्रकार 1950 के बाद हिन्दुओं को छोड़कर सभी को अनुसूचित जाति की सूची से निकाल दिया गया. हालाँकि ये बात भारतीय संविधान की सेक्युलर भावना के खिलाफ थी. जेसा की आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता के अधिकार और आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है की बात कही गयी है. मगर डॉ. राजेंदर परसाद ने एक धर्मनिरपेक्ष देश के सार का उल्लंघन करके उसके सेक्युलर आयींन की धज्जियाँ उड़ा दीं, और इसको अमली जमा पहनाया कांग्रेस सरकार ने. जेसा की मैने कहा ये मौलिक अधिकार के खिलाफ था लिहाज़ा 1956 में सिखों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया और बाद में 1990 में बौद्ध को भी. लेकिन मुसलमानों को अभी तक ये हक नहीं मिला, शायद इनकी नज़र में मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई मोलिक अधिकार है ही नहीं. और हद तो तब हो गयी जब 23 जुलाई 1959 को कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने परिपत्र में ये पारित कर दिया के मुसलमानों को अनुसूचित जाति का फायेदा लेने के लिए फिर से हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा. इससे साफ ज़ाहिर है के बी.ज.पी. के साथ-साथ कांग्रेस को भी मुस्लमान एक आँख गवारा नहीं.

हाँ तो में बात मुसलमानों के जनरल रिज़र्वेशन की कर रहा था. इसके लिए संविधान में पूरे प्रावधान हैं. आर्टिकल 15(4) में साफ लिखा है की सरकार को पूरी आज़ादी है की वो स्पेशल प्रोविज़न के तहत उनकी तरक्की के लिए प्रावधान बना सके जो समाजी और तालीमी एतबार से पिछड़ी कोमें हैं. अब बताओ क्या सारी मुस्लिम कोम आज समाजी और तालीमी एतबार से पिछड़ी नहीं है? और आर्टिकल 16(4) में साफ लिखा है की सरकार को पूरी आज़ादी है की वो स्पेशल प्रोविज़न के तहत उस कोम की नोकरियों के लिए रिज़र्वेशन का प्रावधान बना सके जो सरकारी नोकरियों मैं ना के बराबर हैं. अब बताओ क्या मुस्लिम कोम सरकारी

नोकरियों में नदारद नहीं है? इसके अलावा भी रास्ते हैं, सरकार सभी मुसलमानों को EBC यानि की अत्यंत पिछड़ा वर्ग मैं रख कर भी सभी को रिज़र्वेशन दे सकती है. यहाँ पर में एक बात और साफ करना चाहूँगा की हिंदुस्तान का हर मुस्लमान, चाहे वो किसी भी जात का हो, खस्ता और बदहाली की ज़िन्दगी जी रहा है और इसके लिए जनरल मुस्लिम रिज़र्वेशन ही कारगर है, अलबत्ता बेहद ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए, कोटे में कोटे का तरीका अपनाया जा सकता है लेकिन मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को रिज़र्वेशन से बाहर रखना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी.

मगर ऐसा तो तभी होगा ना जब ये लोग मुसलमानों को कुछ देना चाहेंगे. सही माएनों में वोह चाहे मुसलमानों की हमदर्द कांग्रेस हो या फिर सांप्रदायिकता की बुन्याद पर बनी भा.ज.पा., सभी ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में सबसे नीचे पायेदान पर रखने की कसम खायी है. में तो कहता हूँ अब इन लोगों से मांगना छोड़ दो और सरकार में खुद की हिस्सेदारी लो. वोट बैंक तो बहुत बन चुके अब अपनी खुद की सियासी पहचान बनाओ. ज़्यादातर मसले हल हो जायेंगे जिस दिन सरकार में अपनी हिस्सेदारी ले ली. और तब तुम इनको अपने हक और हिंदुस्तान के वसाएल में हिस्सेदारी के लिए मदारी की तरह नचाओगे. वरना जब तक तुम नहीं नचाओगे, ये लोग तुमको अपनी डुगडुगी पर नचाते रहेंगे, जेसा की पिछले 64 सालों से नचा रहे हें.

-----

मुजीब उर रहमान

अध्यक्ष, भरतीय क्रन्तिकारी दल

Mobile: 09560118661

Email: mrehman@rediffmail.com